न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 10/2018

1– हनुमान सिंह पुत्र आईदान सिंह जाति राजपूत निवासी दुदेरिया हाल आबाद ग्राम बीठनोक तहसील कोलायत जिला बीकानेर
—— अपीलांट

बनाम

1 परियोजना प्रमुख नेयवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड परिसर बीठनोक परियोजना मु0 बरसिंहसर तहसील व जिला बीकानेर

2 राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

–रस्पोडेन्टस

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण – अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जितेंद्र श्रीमाली – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1
3. पैरोकारराज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25 –6–2019

यह अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं0 1 हाल तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा विरूद्व दिनांक 19.6.2014 इस न्यायालय में दिनांक 5.3.18 को प्रस्तुत की गई।

संक्षेप में अपील प्रार्थना पत्र के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि यह अपीलांट के नाम से वाके रोही ग्राम बीठनोक के खसरा नम्बर 799 मे 32 बीघा भूमि बतौर एम.एफ.एफ.आर के खातेदारी भूमि अपीलान्ट के नाम से थी जिसमे से भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा निर्णय दिनांक 30.5.14 से ख0न0 799 से 2.874 हैक्टैयर भूमि अवाप्त कर ली गई। जिसकी अवार्ड राशि 2272759.20 रूपये का भुगतान दिनांक 30.5.14 को अपीलान्ट को 2.874 हैक्टैयर भूमि का किया गया है। अवाप्ति आदेशानुसार अपीलान्ट की अवाप्त शुदा भूमि 2.874 हैक्टैयर का रेस्पोडेन्ट स0 2 ने रेस्पोडेन्ड स0 1 परियोजना प्रमुख नेयेवली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड बरसिहंसर के नाम से ख0न0 799 की 32 बीघा भूमि का इन्तकाल जरिये स0 3360 दिनांक 19.6.14 से बिना की विधिक आदेश के दर्ज कर दी जबकि केवल अवाप्त भूमि 2.874 हैक्टैयर का इन्तकाल दर्ज करना चाहिए था । जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त एवं विधि विरूद्व है।अतः अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार कर अवाप्ति भूमि के अतिरिक्त भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने के आदेश पारित कराने का निवेदन है।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा लिखित बहस प्रस्तुत की कि अपीलांट के नाम वाके रोही ग्राम बीठनोक के खसरा नं0 799 में 32 बीघा खातेदारी भूमि थीं। अपीलांट की खातेदारी भूमि में से भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा निर्णय दिनांक 30.5.14 से ख0न0 799 से 2.847 हैक्टैयर भूमि अवाप्त की गई। जिसकी अवार्ड राशि 2272759.20 रूपये का भुगतान अपीलान्ट को 2.874 हैक्टैयर भूमि का किया गया है। अपीलांट की महज 2.874 हैक्टेयर भूमि ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक मे अवाप्त की गई थीं परन्तु

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये इंतकाल सं0 3360 दिनांक 19.6.2014 द्वारा अपीलांट की सम्पूर्ण 32 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम दर्ज कर दी गई जो विधि विरूद्व हैं। अपीलांट मुताबिक अवाप्ति आदेश कें भूमि दर्ज करवाकर पुनः अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का पूर्ण हकदार हैं। लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील स्वीकार फरमाने का निवेदन किया गया तथा फार्म नं0 3 मे दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये । रेस्पोडेन्ट सं0 1 के वकील ने जबाव अपील को बहस के रूप में स्वीकार करने का निवेदन किया हैं तथा बताया कि अवार्ड सं0 55 ग्रम बीठनोक खसरा नम्बर 799 की 2.874 हैक्टैयर भूमि अवाप्त होने पर मुआवजा की राशि 2272759.20 रूपये का भुगतान किया गया है। परन्तु नामान्तरणकरण 8.09 हैक्टैयर भूमि का हुआ हैं जो कि 5.22 हैक्टैयर भूमि ज्यादा हैं। फार्म न0 3 के साथ दस्तावेजात प्रस्तुत किये ।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ड ने स्वीकार किया कि अवाप्त भूमि के अलावा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं तो कोई आपत्ति नही हैं। पैरोकारराज ने बहस के दौरान प्रकरण उभयपक्ष का होने से निर्णय बरूवे रिकार्ड किया जाता हैं तो कोई ऐतराज नही हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया साथ ही बहस पर मनन किया। निश्चित तौर पर अपील तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत न01 मु0 कोलायत हाल उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15—10—2018 को प्रस्तुत की गई है जो काफी देरीना है क्योंकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने की मियाद कानून में 30 दिवस निर्धारित की हुई है। मियाद के सम्बन्ध मे कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। उपर्युक्त विवेचंना के आधार पर न्यायहित मे अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के द्वारा जारी अवार्ड स0 55 निर्णय दिनांक 30.5.14 से अपीलान्ट की 2.874 हैक्टैयर भूमि अवाप्त की गई है जिससे स्पष्ट है कि इन्तकाल स0 3360 दिनांक 19.06..2014 ग्राम बीठनोक दूषित होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलान्ट की अवाप्त भूमि 2.874 हैक्टेयर के अलावा शेष भूमि जो अवाप्त नही की गई को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को मय रिकार्ड पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश आज दिनांक 25—6—2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर